न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

223RTA 149 of 2021 (GCMS 472 of 2021)

शिवजीराम पुत्र शिवराम के कायममुकामान-

1. रघुवीरसिंह पुत्र शिवजीराम माली
   निवासी पीपाडशहर, तहसील पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
2. सत्यनारायण पुत्र शिवजीराम माली
   निवासी पीपाडशहर, तहसील पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
3. राधादेवी पुत्री शिवजीराम पत्नी अमलक माली
   निवासी कोसाणा मालियों का बास
   पीपाडशहर, जिला जोधपुर
4. सुआदेवी पुत्री शिवजीराम पत्नी सोहन सोलंकी
   निवासी भूरोंवाली ढाणी, भोपालगढ
   जिला जोधपुर
5. डाकुदेवी पुत्री शिवजीराम पत्नी जवरीलाल माली
   निवासी सांखलों का बेरा, पीपाड,
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मलाराम पुत्र शिवराम के कायममुकामान-
   1.1. ओमप्रकाश पुत्र मलाराम माली,
   निवासी श्रीराम मौहल्ला, अशोकनगर,
   पीपाडशहर, तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
   1.2. सुखीदेवी पत्नी मलाराम माली,
   निवासी श्रीराम मौहल्ला, अशोकनगर,
   पीपाडशहर, तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
   1.3. बेबीलता पुत्री शिवजीराम माली पत्नी कोजाराम माली,
   निवासी सालग नगर, भोपालगढ, जिला जोधपुर
   1.4. सुशीला पत्नी नेमाराम पुत्री मलाराम माली,
   निवासी सांखलों का बेरा, पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
2. विशनाराम पुत्र सोनाराम माली
3. मनीष पुत्र सोनाराम माली
4. रविन्द्र पुत्र सोनाराम माली
5. देवेन्द्र पुत्र हरदेव माली

22.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

6. श्रवण पुत्र बाबूलाल माली
7. रामनिवास पुत्र बाबूलाल माली
   सभी निवासीगण पीपाडशहर,
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 मई 2018 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर राजस्व मूल वाद संख्या 64/2011 मलाराम बनाम शिवजीराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री हरीसिंह कच्छवाह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो.
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 8

नि र्ण य

दिनांक : 22 दिसम्बर 2023

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा राजस्व वाद संख्या 64/2011 मलाराम बनाम शिवजीराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 15 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 07 फरवरी 2020 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन भी किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. मलाराम पुत्र शिवराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 व 188 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 971 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा बारानी दोयम वाके मौजा सिन्धीपुरा तथा

22.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आराजी खसरा संख्या 1187 रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा बारानी चारम व आराजी खसरा संख्वया 1242/4 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा बारानी चारम वाके मौजा पीपाडशहर के संबंध में प्रस्तुत किया, जिसका विरोध करते हुए प्रतिवादीगण संख्या एक से छः की ओर से जबाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जबाब तथा काउण्टर क्लेम के आधार पर दादरसी सहित कुल 5 तनकियात कायम की गयी।

तत्पश्चात उभयपक्षकारान को साक्ष्य सबूत का अवसर दिया गया। वादी-रेस्पो. ने अपने वाद की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श एक से प्रदर्श 10 प्रस्तुत की जबकि प्रतिवादी-पक्ष की ओर से कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराया गया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद आवश्यक कार्यवाही निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 मई 2018 पारित करते हुए वादी-रेस्पो. का दावा खारिज कर दिया और प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट-प्रतिवादी संख्या एक द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अनुसरण मे तहरीर जारी की जाकर तहसीलदार पीपाडशहर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये और तहसीलदार पीपाडशहर द्वारा पक्षकारान को समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही वादी-रेस्पो. का लाभ पहुँचाने की बदनियती से प्रस्तावित नक्शा तैयार किया जिससे अपीलाण्ट के हितों पर कुठाराघात हुआ। पक्षकारान के मध्य खसरा संख्या 1187 का बंटवारा करते हुए 04 बीघा 06 बिस्वा भूमि मलाराम, 4 बीघा 6 बिस्वा शिवजीराम, 4 बीघा 6 बिस्वा विश्नाराम मनीष राजेन्द्र पिसरान सोनाराम के हक में रख कर 11 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में छोड दी गयी जो सामलाती रखी गयी जिस बाबत अपीलाण्ट को आपत्ति है कि तहसीलदार पीपाडशहर ने उक्त खसरा संख्या 1187 रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा का सही बंटवारा माप व सीमांकन के आधार पर नहीं किया क्योंकि खसरा संख्या

22-12-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1187 के पश्चिम तरफ खसरा संख्या 1210 गैरमुमकिन मगरा है जिस पर पीपाडशहर की आबादी बसी हुई है तथा खसरा संख्या 1210 में से एक रास्ता मौके पर मौजूद है जिससे खसरा संख्या 1187 में आवागमन होता है और रास्ते के पश्चिमी तरफ प्रतिवादीगण के रहवासीय मकानान व खसरा संख्या 1187 के मध्य रास्ता है, अतः खसरा संख्या 1187 की 11 बिस्वा भूमि अनावश्यक तौर से रास्ते के लिए छोडी गयी है और सभी को खसरा संख्या 1187 के पश्चिमी तरफ चलते रास्ते पर बराबर-बराबर भूमि नहीं दी गयी और माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन नहीं किया गया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री को आदेशित रूप से पारित किया गया है जबकि नियमानुसार पक्षकारों के द्वारा एवं उनकी सहमति से एवं सभी पक्षकारों के हितों को देखते हुए प्राथमिक डिक्री होनी चाहिये। संबंधित तहसीलदार द्वारा अपनी मनमर्जी से पक्षकारान के हितों की अनदेखी करते हुए विभाजन प्रस्ताव पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त एवं विधि की मंशा के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की गयी थी, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण की पत्रावली तलब कर ली गयी थी, माननीय राजस्व मण्डल मे प्रकरण लम्बित रहने के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी कर दी गयी, तब निगरानी विड्रा की गई एवं पत्रावली विचारण न्यायालय में आने के बाद उक्त प्रकरण से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु अपीलाण्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलौच्य अपील पेश की गयी है। विधिक प्रकिया पक्षकारान को न्याय दिलाने में सहायक है बाधक नहीं, अतः प्रस्तुत अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और अपीलाण्ट को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15 मई

22-12-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2018 को दावा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। आलौच्य अपील में अपीलाण्ट्स की ओर से निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15 मई 2018 बाबत ऐसी कोई त्रुटि अथवा तर्क प्रकट नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15 मई 2018 अपास्त किये जाने योग्य हो। प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में सबंधित तहसीलदार द्वारा नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाकर विचारण न्यायालय में पेश किये जाने पर विभाजन प्रस्ताव बाबत पक्षकारान की सुनवाई कर विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 14 दिसम्बर 2018 पारित किये गये, जो विधिवत, निर्धारित प्रकिया के अनुरूप एवं न्यायोचित होने से उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता एवं औचित्य नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 8 ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, न्यायहित में इस बाबत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों एवं अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है। गुणावगुण के संबंध में उपलब्ध अभिलेख से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीपक्ष द्वारा अपने वाद की पुष्टि में लिखित पारिवारिक बंटवारा दिनांक 06 अगस्त 1978 प्रदर्श 6ए तथा लिखित बंटवारा दिनांक 26 जुलाई 1984 प्रदर्श 8ए प्रस्तुत किये और मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यु एक से पीडब्ल्यु 3 कमशः स्वयं वादी मलाराम पुत्र शिवराम, हस्तीमल पुत्र मिसाराम एवं लक्ष्मणराम पुत्र मिसाराम के बयान कराये गये। प्रस्तुत लिखित बंटवारा अपंजीबद्ध एवं मात्र सादा कागज पर लिखित होने तथा

22.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौखिक साक्ष्य से समर्थित नहीं होने से विचारण न्यायालय द्वारा **तनकी संख्या एक** (आया वादी ग्राम सिन्धीपुरा व ग्राम पीपाडशहर की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी का लिखित पारिवारिक सेटलमेण्ट के तहत हुए बंटवाडा दिनांक 06 अगस्त 1978 व तत्पश्चात हुए बंटवाडा दिनांक 26 जुलाई 1984 के अनुसार माप व सीमांकन के अनुसार बंटवाडा करवाने का अधिकारी है? ... जिम्मे वादी) का निस्तारण वादी के खिलाफ एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में किया गया है।

तनकी संख्या एक बाबत पारित निष्कर्ष के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या दो (आया वादी वादग्रस्त आराजी के पारिवारिक सेटलमेण्ट के तहत हुए बंटवाडा दिनांक 26 जुलाई 1984 के अनुसार वादी के हक बंट कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा पैदा की जा रही दखलंदाजी रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी करवाने का हकदार है? ... जिम्मे वादी) का निस्तारण भी वादी के खिलाफ किया गया है।

तनकी संख्या एक बाबत पारित निष्कर्ष को आधार बनाते हुए विचारण न्यायालय द्वारा **तनकी संख्या तीन** (आया ग्राम सिन्धीपुरा व पीपाडशहर की राजस्व सीमा में स्थिति वादग्रस्त आराजी का लिखित पारिवारिक सेटलमेण्ट के तहत हुए बंटवाडा दिनांक 06 अगस्त 1978 व तत्पश्चात हुए बंटवाडा दिनांक 26 जुलाई 1984 कूटरचित व फर्जी है? उक्त लिखित बंटवारे विधिसम्मत एवं कानूनी रूप से मान्य नहीं है? ..... जिम्मे प्रतिवादीगण) एवं **तनकी संख्या चार** (आया प्रतिवादी ग्राम सिन्धीपुरा व पीपाडशहर की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी का माप व सीमांकन के अनुसार बंटवारा करवाने के हकदार है? ... जिम्मे प्रतिवादी) का निस्तरण किया गया और दावा खारिज करते हुए प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम को स्वीकार किया गया है।

अदालत हाजा की विनम्र राय में विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार समुचित विवेचन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी 15 मई 2018 पारित किये गये है जिनके खिलाफ

22.12.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलौच्य अपील स्तर पर अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा कोई ठोस तर्क अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 मई 2018 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) पीपाडशहर द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2018 को पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक के साथ पक्षकारान की उपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत पक्षकारान को उज्र-एतराज का अवसर दिया गया, आदेशिका दिनांक 14 सितम्बर 2018 के अनुसार वकील प्रतिवादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु समय चाहा गया, जो दिया गया, किन्तु निर्धारित पेशी दिनांक 27 सितम्बर 2018 तक कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी, विचारण न्यायालय द्वारा पुनः आगामी दो पेशीयों पर पुनः अवसर दिया गया। दिनांक 25 अक्तूबर 2018 को विभाजन प्रस्ताव बाबत प्रतिवादी-पक्ष की ओर से आपत्ति पेश की गयी, जिसके संबंध में पक्षकारान की सुनवाई के बाद विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 14 दिसम्बर 2018 पारित किये गये जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य एवं आधार नजर नहीं आता है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15 मई 2018 तथा निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 14 दिसम्बर 2018 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-12-23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

शिवजीराम पुत्र शिवराम के
कायममुकामान-

1. रघुवीरसिंह पुत्र शिवजीराम
   माली
   निवासी पीपाडशहर, तहसील
   पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
2. सत्यनारायण पुत्र शिवजीराम
   माली
   निवासी पीपाडशहर, तहसील
   पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
3. राधादेवी पुत्री शिवजीराम
   पत्नी अमलक माली
   निवासी कोसाणा मालियों का
   बास
   पीपाडशहर, जिला जोधपुर
4. सुआदेवी पुत्री शिवजीराम
   पत्नी सोहन सोलंकी
   निवासी भूरोंवाली ढाणी,
   भोपालगढ
   जिला जोधपुर
5. दाकुदेवी पुत्री शिवजीराम पत्नी
   जवरीलाल माली
   निवासी सांखलों का बेरा,
   पीपाड,
   जिला जोधपुर

ब

ना

म

रेस्पोडेण्ट

1. मलाराम पुत्र शिवराम के
   कायममुकामान-
   1.1. ओमप्रकाश पुत्र मलाराम माली,
   निवासी श्रीराम मौहल्ला,
   अशोकनगर,
   पीपाडशहर, तहसील
   पीपाडशहर, जिला जोधपुर
   1.2. सुखीदेवी पत्नी मलाराम माली,
   निवासी श्रीराम मौहल्ला,
   अशोकनगर,
   पीपाडशहर, तहसील
   पीपाडशहर, जिला जोधपुर
   1.3. बेबीलता पुत्री शिवजीराम माली
   पत्नी कोजाराम माली,
   निवासी सालग नगर,
   भोपालगढ, जिला जोधपुर
   1.4. सुशीला पत्नी नेमाराम पुत्री
   मलाराम माली,
   निवासी सांखलों का बेरा,
   पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
2. विशनाराम पुत्र सोनाराम माली
3. मनीष पुत्र सोनाराम माली
4. रविन्द्र पुत्र सोनाराम माली
5. देवेन्द्र पुत्र हरदेव माली
6. श्रवण पुत्र बाबूलाल माली
7. रामनिवास पुत्र बाबूलाल माली
   सभी निवासीगण पीपाडशहर,
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर

22-12-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 मई 2018 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर राजस्व मूल वाद संख्या 64/2011 मलाराम बनाम शिवजीराम इत्यादि

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील आज बतारीख 22 दिसम्बर 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री हरिसिंह कच्छवाहा चम्पावत मिनजानिब अपीलाण्ट एवं अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 15 मई 2018 तथा निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 14 दिसम्बर 2018 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। (खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 22 दिसम्बर 2023 को जारी किया गया।

22-12-23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

22-12-23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर